

27/01  
2015

वकील अशोक अच्य जोषा (लष्कार उच्च अयपत्राचो पुणे  
उपलान्त केषप पुर्व्या का संकुलन सापल के पक्ष के  
बाहिर होला है अलः दिनांक 27/01/2015 को जारी अन्तर्गत  
अध्याई निर्देशावला को मूल प्रमाण के निस्तारक लक्ष  
अन्तर्गत किया जाता है। पत्रावली के मातल मुद्रा होकर  
नामा से एक ही मूल पत्रावली के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी

धौलपुर (राज०)